

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

आवश्यक सूचना।

कर समाहितकरण योजना (Tax Composition Scheme) में सम्मिलित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यवसायियों को कर समाहितकरण योजना के अधीन बने रहने के लिए झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 60 के अधीन प्रावधानित विहित नये प्रपत्र JVAT 119 में विकल्प देना आवश्यक है।

विभिन्न व्यवसायिक संघों तथा निबंधित व्यवसायियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरांत वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रासंगिक बिन्दु पर पूर्व सूचित विस्तारित तिथि 30 नवम्बर, 2015 को पुनः बढ़ाते हुए दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 किया गया था।

कर समाहितकरण योजना (Tax Composition Scheme) में सम्मिलित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में कर समाहितकरण योजना (Tax Composition Scheme) में बने रहने (Continue)/हटने (Withdraw) के लिए विहित प्रपत्र JVAT 119 में ऑनलाईन आवेदन (Online Application) दिनांक 10.01.2016 तक आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें।

किसी प्रकार की समस्या होने पर विभागीय HELP DESK दूरभाष संख्या 0651-6066005 (IVRS) (सुबह 10:00 से संख्या 07:00 बजे तक) तथा संध्या 8:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक मोबाईल संख्या-7762837076 एवं 7762837078 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

वाणिज्य-कर विभाग
झारखण्ड सरकार

